न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर ,कैम्प सागर म.प्र.

प्र/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/1530

गंगाराम कुर्मी मृत द्वारा वारसानगण-

1. प्रेमरानी कुर्मी उम्र 70 वर्ष बेवा गंगाराम कुर्मी

2. श्यामलाल कुर्मी उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व0 गंगाराम कुर्मी

दोनो निवासी ग्राम सतपारा तह0 पथरिया जिला दमोह म.प्र.

... निगरानीकर्तागण

।। विरूद्ध।।

1. श्रीमति पूनम पति संजय चौरहा

निवासी- वार्ड नं. 4 पथरिया तह0पथरिया जिला दमोह म.प्र.

2. म.प्र. शासन

द्वारा कलेक्टर दमोह म.प्र.

.. अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गतधारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

निगरानी कर्ता ने यहनिगरानी माननीयअपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्र0क्र0 221अ-5 वर्ष 2012-13 में अपील निरस्ती आदेश दिनांक 02.01.2018 से परिवेदित होकर मूल अपीलार्थी गंगाराम कुर्मी के मृत हो जाने से वारसान हक्क के आधार पर नकल प्राप्ति में लगे समय को छोड़कर समयावधि के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है :-

प्रकरण के तथ्य इसप्रकार है कि निगरानीकर्ता के पति/पिता गंगाराम कुर्मी के नाम से मौजा सतपारा प.ह.नं. 4 तह0 पथरिया जिला दमोह में ख.नं. 1895/1 रकवा 1.58है0 भूमि स्थित है जोकि निगरानी कर्ता की बैनामा दिनांक 1964 के द्वारा खरीदशुदा भूमि है ,गंगाराम की उक्त भूमि मे से 0.68है0 भूमि तहसीलदार पथरिया द्वारा राजस्वप्र0क्र0 163अ-5 वर्ष 2010-11 के मौजा नेगुवां के बखतसींग पिता उमरावसींग का रकवा दुरूस्ती आदेश दिनांक 27.05.11 से सम्बंधित था के आदेश से कम कर दी गई थी ,अपीलार्थी को उक्त तथ्य की प्रथमबार जानकारी

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1530 **जिला** - दमोह

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/03/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील विलंब से पेश की गई। विलंब के संबंध में आवेदक द्वारा कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जबकि विलंब के संबंध में दिन-प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट कारण दिया जाना अनिवार्य होता है। उक्त आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील अवधि वाह्य होने से निरस्त की गई, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में करते हुए अपील निरस्त की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	